में जारी

जारी नही किया जा सकता है अत: अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा दोनों पक्षों की बहस सुनी जाकर मनन किया गया। विप्रार्थीगण स० 1 से 15, 17 व 18 ने जवाब व बहस मे वाद ग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण की वहवाली ढाणी होना स्वीकार किया इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति, के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होते है।

अत: प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 20-8-2020 को जारी स्थगन आदेश को मूल वाद के निर्णय तक पुष्ट (कन्फर्म) किया जाता है। उक्त आदेश आज दिनांक 31-08-2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा पत्रावली नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी

सेवामें,

श्रीमान् सहायक जिलाधीश (एसडीओ)
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर (राज0)।

प्रार्थीगण –

1. आसुराम पुत्र मांगाराम उम्र 52 वर्ष
2. भावाराम पुत्र मांगाराम उम्र 50 वर्ष
3. कुम्भाराम पुत्र मांगाराम उम्र 47 वर्ष
4. मोहनलाल पुत्र मांगाराम उम्र 42 वर्ष जाति मेगवाल निवासी जुगताणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर(राज0)।

बनाम

विप्रार्थीगण–

1. देवाराम पुत्र डूंगराराम उम्र 55 वर्ष
2. भैराराम पुत्र डूंगराराम उम्र 50 वर्ष
3. मिसराराम पुत्र डूंगराराम उम्र 48 वर्ष
4. भोमाराम पुत्र डूंगराराम उम्र 42 वर्ष
5. धुड़ी पत्नी डूंगराराम उम्र 72 वर्ष
6. अर्जुनराम पुत्र जोगाराम 21 वर्ष
7. तुलछी पत्नी जोगाराम उम्र 45 वर्ष
8. मगाराम पुत्र करनाराम उम्र 38 वर्ष
9. पुरो पत्नी करनाराम उम्र 65 वर्ष
10. खींयाराम पुत्र हरदान उम्र 55 वर्ष
11. हुकमा पुत्र हरदान उम्र 60 वर्ष
12. पना पुत्र रेखा उम्र 55 वर्ष
13. लाला पुत्र उदा उम्र 60 वर्ष
14. झीमों पत्नी लालाराम उम्र 55 वर्ष
15. गंगा पुत्र वेहना उम्र 55 वर्ष
16. ओमप्रकाश पुत्र वालाराम उम्र 35 वर्ष
17. प्रभूराम पुत्र वालाराम उम्र 32 वर्ष

20. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे हाल एसबीआई राणाप्रताप बाजार गुड़ामालानी।

21. शाखा प्रबन्धक एसबीआई कृषि विकास शाखा गुड़ामालानी।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी पी सी वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने ।

महोदयजी,

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निम्न प्रकार है–

1. यह है कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक राजस्व वाद बाबत घोषणा, बंटवाडा व निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय मे पेश किया है जो विचाराधीन है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है और वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टाय मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है ।
2. यह है कि प्रार्थीगण का कदीमी काश्त एवं खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 714/2 रकबा 45–00 बीघा का सरहद गुड़ामालानी वर्तमान ग्राम जुगताणियों की ढाणी में आया हुआ है। जिसको प्रार्थीगण के पिता व दादा ने गत पैमाईश के समय अमीन के साथ रहकर नपवा दिया था, इस खेत के चारों तरफ पीढियों की पुरानी माठे मौके पर मौजूद है और इस पुरे खेत को प्रार्थीगण व उसके पिता व दादा तथा उसके पश्चात् वक्त सैटलमेंट व उसके पहले व उसके बाद आज तक लगातार बहैसियत खातेदार काश्त करते आ रहे है और इसकी कुदरती पैदावार भी हर साल लेते आ रहे है।
3. यह है कि इस खेत के पड़ौस में विप्रार्थीगण का ग्राम गुड़ामालानी वर्तमान ग्राम जीवाणियों की ढाणी खेत खसरा नम्बर 680 आया हुआ है। पैमाईश के वक्त इस खेत यानि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 714/2 का रकबा 04 बिस्वा, 04 बिस्वा कुल रकबा 08 बिस्वा भूमि, जो इस वाद के साथ में पेश नक्शा में

आसुराम

21. शाखा प्रबन्धक एसबीआई कृषि विकास शाखा गुड़ामालानी।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी पी सी वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने ।

महोदयजी,

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निम्न प्रकार है–

1. यह है कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक राजस्व वाद बाबत घोषणा, बंटवाडा व निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय मे पेश किया है जो विचाराधीन है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है और वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टाय मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है ।
2. यह है कि प्रार्थीगण का कदीमी काश्त एवं खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 714/2 रकबा 45–00 बीघा का सरहद गुड़ामालानी वर्तमान ग्राम जुगताणियों की ढाणी में आया हुआ है। जिसको प्रार्थीगण के पिता व दादा ने गत पैमाईश के समय अमीन के साथ रहकर नपवा दिया था, इस खेत के चारों तरफ पीढियों की पुरानी माठे मौके पर मौजूद है और इस पुरे खेत को प्रार्थीगण व उसके पिता व दादा तथा उसके पश्चात् वक्त सैटलमेंट व उसके पहले व उसके बाद आज तक लगातार बहैसियत खातेदार काश्त करते आ रहे है और इसकी कुदरती पैदावार भी हर साल लेते आ रहे है।
3. यह है कि इस खेत के पड़ौस में विप्रार्थीगण का ग्राम गुड़ामालानी वर्तमान ग्राम जीवाणियों की ढाणी खेत खसरा नम्बर 680 आया हुआ है। पैमाईश के वक्त इस खेत यानि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 714/2 का रकबा 04 बिस्वा, 04 बिस्वा कुल रकबा 08 बिस्वा भूमि, जो इस वाद के साथ में पेश नक्शा में

आसुराम

आज तक कब्जा व काश्त में रोक टोक नही की है, बकाया भूमि रकबा 45–00 बीघा खसरा नम्बर 714/2 का प्राथीगण व उनके पिता को पर्चा लगान मिल गया था।

प्रार्थीगण व उनके पिता हमेशा यही समझते आए है कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 714/2 का रकबा 45–00 बीघा भूमि का पश्चिमी दिशा की तरफ वाले पूरे खेत जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी बनी हुई है का पट्टा प्रार्थीगण को मिल गया है जो संलगन नक्शा में बरंग लाल रग से दर्शाया गया है।

4. यह है कि विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 680 रकबा 96 बीघा 19 बिस्वा (विभक्त खसरा नम्बर 680 रकबा 95 बीघा 18 बिस्वा 7 बिस्वांशी व खसरा नम्बर 680/6 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वांशी) में से 4–4 बिस्वा के दो टुकड़े रकबा 8 बिस्वा भूमि (जो संलग्न नक्शा में बरंग लाल रंग से A से B व C से D दर्शाई गई है) में आज तक विप्रार्थीगण का कभी कब्जा व काश्त नहीं रहा है और न ही किसी तरह विप्रार्थीगण का हक रहा है। यह भूमि हमेशा ही प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 714/2 का अभिन्न अंग रही है और उस पर प्रार्थीगण का सेटलमेंट से पूर्व आज दिन तक कब्जा लगातार चला आ रहा है। खसरा नम्बर 680 के पूर्व सेढे पर खसरा नम्बर 680/6 रकबा 1 बीघा 13 विस्वांशी गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया जिसमें प्रार्थीगण को नही सुना गया है तथा न ही प्रार्थीगण उसके पक्षकार थे इसलिए उक्त आदेश प्रार्थीगण के प्रति शुन्य व निष्प्रभावी है।

5. यह है कि प्रार्थीगण व उनके पूर्वज अनपढ हो से उन्हें सैटलमेंट विभाग द्वारा की गई गलती का इस समय तो कोई ज्ञान नहीं हुआ। अरसा 15 रोज पूर्व विप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कहा कि हमने हमारे खेत की नेखमबंदी का आदेश

आसुराम

करवाया है तथा यह मौका रिपोर्ट देख लो आपकी ढाणी हमारे खेत में आ गई है यह खेत रकबा 8 बिस्वा तो हमारा है व हमारे खेत से ढाणी व कब्जा हटाओं तब प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से पुछा तो प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 714/2 के खेत का भाग रकबा 8 बिस्वा विप्रार्थीगण के खेत में सैटलमेंट वालों की गलती से दर्ज होने का ज्ञान हुआ तब प्रार्थीगण का उपरोक्त 8 बिस्वा भूमि अपनी खातेदारी में घोषित करवाने हेतु वाद पेश करना आवश्यक हो गया है।

6. यह है कि प्रार्थीगण, विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 680 रकबा 96 बीघा 19 बिस्वा (विभक्त खसरा नम्बर 680 रकबा 95 बीघा 18 बिस्वा 7 बिस्वांशी व खसरा नम्बर 680/6 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वांशी) भूमि से रकबा 8 बिस्वा भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल रंग से A से B व C से D दर्शाई गई है जो उक्त 8 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 714 से विभक्त खसरा नम्बर 714/2 का अभिन्न अंग है, पर सेटलमेंट से पूर्व, सेटलमेंट के समय आज दिन तक करीबन 70 वर्षो से अधिक समय से प्रार्थीगण के पूर्वज व प्रार्थीगण, विप्रार्थीगण के पूर्वज व विप्रार्थीगण की जानकारी में, उनके हक को अस्वीकार करते हुए, शान्तिपूर्वक, खुल्लमखुला, बिना किसी रोक–टोक के, काबिज होकर ढाणी बनाकर रहवास कर लगातार काश्त करते आ रहे है। इस प्रकार उक्त रकबा 8 बिस्वा से विप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त होकर प्रार्थीगण में निहित हो गए है।

7. यह है कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण को उक्त भूल को सुधारने व अपने नाम से वापिस खातेदारी में दर्ज कराने को कहा तो विप्रार्थीगण ने अरसा 10 रोज पूर्व प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने से साफ इन्कार कर दिया और प्रार्थीगण को सख्त अंदेशा व खतरा है कि विप्रार्थीगण उक्त भूमि से प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त एवम् रहवासी ढाणी में दखलंदाजी करेगें, तब प्रार्थीगण को यह वाद लाना लाजमी हो गया है, साथ में यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश है।

8. यह है कि विप्रार्थीगण व उनके परिवार के सदस्य